विचार बिन्दु

ईश्वर आपत्तियों का भला करे क्योंकि इन्हीं से मित्र और शत्रु की पहचान होती है। -अज्ञात

क्या समाज द्वारा अपने सदस्य का बहिष्कार करना संवैधानिक नैतिकता के सिद्धान्त के विपरीत होने से अवैध है

किसी समाजों, जातियों और धर्मों में, समाज से बहिष्कार, जाति से निष्काशन अथवा धर्म से अलग करने की प्रथा (प्रेक्टिस) है। कुछ लोग साधारण भाषा में इसे हुक्का पानी बंद करना भी कहते हैं। एक समय था जब विधवा विवाह करने पर हिन्दुओं में व्यक्ति को जाति से बहिष्कृत कर दिया जाता था। दाऊद बोहराओं के समाज में बहिष्कार करने की प्रेक्टिस (प्रथा) रही है। मेरे बड़े भ्राता स्व. श्री नाथूलालजी जैन को (जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी के सदस्य रहे थे) हरिजनों के भोज में शामिल होने पर दिगम्बर जैन समाज ने हमारे परिवार को ही बहिष्कृत कर दिया था। बहिष्कार में समाज बहिष्कृत व्यक्ति से कोई संबंध नहीं रखता था। मंदिर में भी उसका प्रवेश बंद कर दिया जाता था। व्यक्ति को समाज की सम्पत्ति के प्रयोग का अधिकार छीन लिया जाता था। परिवार का सदस्य शमशान का भी उपयोग नहीं कर पाता था। बहिष्कृत व्यक्ति एक अछूत बन जाता है और उसका जीवन नारकीय व गरिमा हीन हो जाता है, यह उसकी Civil Death है। इस बहिष्कार को Ex-communication कहा जाता है।

सन् 1962 में सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने सरदार सैदना तहेर सैफुद्दीन साहेब बनाम स्टेट ऑफ बम्बई (1962 Suppl (2) SCR 496) में दाऊद बोहरा समाज में बहिष्कार की प्रेक्टिस को सही माना था उक्त केस में 4 : 1 के निर्णय से बोम्बे प्रिवेन्शन ऑफ एक्सकोम्यूनिकेशन एक्ट 1949 को अवैध मानकर निरस्त किया था। एक अन्य केस में सरदार सैदना के केस को संविधान पीठ ने पुन: विचार करने की बात कही थी, क्योंकि स्थिति में तथा विचारों में परिवर्तन हुआ था।

Constitution Jurisprudency (संवैधानिक विधि शास्त्र) में नई विचार धारा का परिवर्तन और विकास हुआ है जिसके अनुसार संवैधानिक नैतिकता तथा व्यक्तिगत गरिमा के बाबत सोच में क्रांन्ति आई है। सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ दाऊद बोहरा कोम्यूनिटी ने 1986 में रिट पिटीशन दायर हुई थी और उसमें 1962 के उपरोक्त निर्णय पर पुन: विचार की प्रार्थना की थी। जब यह पिटीशन जेरकार थी तभी महाराष्ट्र सरकार महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऑफ पिपुल फ्रोम सोशिल बॉयकाट अधिनियम 2016 लेकर आई। उसने 1949 के उक्त अधिनियम को रिपील कर दिया। पिटीशनर्स ने यह प्रार्थना भी की कि 2016 के अधिनियम को दाऊद बोहराओं पर भी लागू माना जावे।

जस्टिस संजय किशन कॉल, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस अभय ओका, जस्टिस विक्रय नाथ व जस्टिस जे.के. महेश्वरी की संविधान पीठ ने प्रारम्भिक रूप से यह माना कि परिस्थितियां बदल चुकी हैं और विचारों में नई सोच ने जन्म लिया है अत: 1962 के केस को पुनर्विचार किया जावे।

सबरीमाला के केस में सर्वोच्च न्यायालय ने अपने फैसले में विवादित प्रश्न को महिलाओं के समानता के आधार पर परीक्षण कर निर्णय दिया है। मंदिर में प्रवेश पर पाबन्दी को समानता के मूल अधिकार पर अक्रमण मानकर उसे असंवैधानिक करार दिया है। धर्म का स्वरूप प्रथाओं कस्टम, रीति, रिवाजों, विश्वास व आस्था पर आधारित और उसी प्रथा को धर्म माना गया है जो धर्म का अभिन्न अंग माना गया है। इस निर्णय का विरोध है। उनका कहना है कि 10 से 50 वर्ष की महिलाओं को जो मासिक धर्म की सामाजिक क्रिया से ग्रसित हैं, उन्हें मंदिर में प्रवेश न दिया जावे। उनके लिये यह प्रश्न आस्था का है। इस केस में 9 जजों की पीठ को पुनर्विचार हेतु सौंप दिया गया है। सबरीमाला के केस में धार्मिक डिनोमीनेशन के अधिकार को संवैधानिक नैतिकता के तहत माना गया है तथा अनुच्छेद 26 में Morality को संवैधानिक मोरेलिटी के संबंध में माना है।

5 न्यायधीशों की पीठ का निर्णय जस्टिस ओका ने दिया है। पीठ का मानना है कि कानून की व्याख्या (Interpretation) परिस्थितियों और समय के साथ बदलते रहना चाहिये। कानून समाज की आशाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप बनना चाहिये। देश विकास के पथ पर आगे बढ रहा है। लोगों की आकांक्षाओं के अनुसार, प्रगति के अनुसार तथा संसार के अन्य लोगों की प्रतिस्पर्धा के अनुरूप कानून की व्याख्या होनी चाहिये। पीठ ने कहा सुप्रीम कोर्ट ने के.एस. पुट्टास्वामी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया के केस में प्राइवेसी को मूल अधिकार माना है। इण्डियन यंग लॉयर्स एसोसियेशन बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया के केस में मासिक धर्म से पीडित को शबरीमाला के केस में मंदिर में प्रवेश के प्रतिबंध को अवैध माना है। अत: 1962 के पुराना निर्णय के पुनर्विचार की आवश्यकता है।

हमारा संविधान अदभुत है। वह लचर भी है अतः उसे संशोधन भी किया जा सकता है, किन्तु संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। संशोधन आवश्यक है। कानून समय की पुकार के साथ बनाये जाते हैं। जैसे-जैसे देश प्रगति करता है उसके नागरिकों की महत्वाकांक्षायें भी बढ़ती जाती हैं।

धार्मिक Denomination की स्वतंत्रता जिसे संविधान के अनुच्छेद 26 में परिभाषित किया है उसे समानता के मूल अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संदर्भ में माना जाना चाहिये। इस प्रकार संवियधान में जो धार्मिक स्वतंत्रता, एकता, व्यक्ति की गरिमा स्वतंत्रता की पृष्ठ भूमि में संविधान के प्रति विश्वास की रोशनी में समझना चाहिये जैसे जस्टिस चंद्रचूड ने शबरीमाला के केस में अभिव्यक्त किया है। समानता व स्वतंत्रता तथा बन्धुत्व की भावना संविधान में एक प्रकार से संविधान की नैतिकता ही है, उसे किसी भी कीमत पर समाप्त नहीं किया जा सकता।

वस्तुत: हमें संवैधानिक नैतिकता को समझना होगा डा. अम्बेडकर (संविधान निर्माता) के अनुसार संवैधानिक नैतिकता का अर्थ विभिन्न नागरिकों वर्गों एवं शासन के समूहों के परस्पर विरोधी हितों के मध्य सामन्जस्य स्थापित करना है। संविधान नैतिकता की परिकल्पना विभिन्न समूहों के मध्य टकराव की समस्या को हल करने की है।

संविधान नैतिकता की अवधारणा संविधान की प्रस्तावना, भाग III (मूल अधिकार), भाग IV राजनीति के निदेशक सिद्धान्त में स्पष्ट झलकती है, जिन्हें संवैधानिक लोकतंत्र के विचारों के प्रति प्रतिबद्धता के रूप में हम पायेंगे। संक्षेप में संवैधानिक नैतिकता का अर्थ है लोकतंत्र के मूल सिद्धान्तों की पालना करना।

यदि हम संविधान के भाग IV A (मूल अधिकारों) का अध्ययन करेंगे तो संविधान के इस निर्देश को (जो सभी नागरिकों के लिये है) तो हम जान पायेंगे कि प्रत्येक नागरिक को अपना Scientific Temper मजबूत करना होगा हमें मानवीय गुणों के अनुसार आचरण करना होगा और सदैव सुधार व प्रगति के रथ पर सवारी करनी होगी। देश की आजादी के बाद भी अभी भी कई रूढीवादी अमानवीय प्रथायें हैं, हमें उन्हें समाप्त करना है। शिक्षा के अभाव में धर्म के नाम पर जो क्रूर प्रथायें चल रही हैं, वे बंद होनी चाहिये। सुप्रीम कोर्ट को भी उन प्रथाओं के मामले में दखल नहीं देना चाहिये जहां प्रथायें क्रूर व अमानवीय नहीं हैं, उन्हें सिविल न्यायालयों पर छोड देना चाहिये, किन्तु जस्टिस महलोत्रा ने सिविल न्यायालय का दखल स्वीकार नहीं किया है। प्रथा उसी को माना जावे जो धर्म का अभिन्न अंग हो।

निष्काशन के फलस्वरूप कई Civil Consequence होते हैं। व्यक्ति (निष्कासित) के मूल अधिकार जैसे गरिमा मय जीने के अधिकार को विपरीत रूप से प्रभावित करता है जिसे संविधान के अनुच्छेद 21 में दिया गया है। यह प्रश्न शबरीमाला के रिव्यू केस में निर्णित होना है कि क्या संवैधानिक नैतिकता की पृष्ठभूमि में निष्काशन की वैधता पर विचार करना आवश्यश्क होगा। इस प्रकार रिव्यू केस में निम्नलिखित प्रश्न रेलेवेन्ट होंगे:-

"(i) Regarding the interplay between the freedom of religion under Articles 25 and 26 of the Constitution and other provisions in Part III, particularly Article 14.

(ii) What is the sweep of expression "public order, morality and health" occurring in Article 25(1) of the Constitution.

(iii) The expression "morality" or "constitutional morality" has not been defined in the Constitution. Is it overarching morality in reference to Preable or limited to religious beliefs of faith. There is need to delineate the contours of that expression, less it become subjective."

बैंच ने यह भी पाया कि सरदार सैदना केस को, अधिनियम को पूर्णतया निरस्त नहीं करना चाहिये।

हमारा संविधान अदभुत है। वह लचर भी है अत: उसे संशोधन भी किया जा सकता, किन्तु संविधान के मूल ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। संशोधन आवश्यक है। कानून समय की पुकार के साथ बनाये जाते हैं। जैसे-जैसे देश प्रगति करता है उसके नागरिकों की महत्वाकांक्षायें भी बढती जाती हैं। अत: संविधान व कानून में संशोधन की आवश्यकता होती है, किन्तु कानून बनाने में बहुत विलम्ब हो जाता है। अत: संशोधन का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाता। यह एक गंभीर विचारणीय विषय है।

-अतिथि सम्पादक,
पानाचन्द जैन
पूर्व न्यायाधीश, राजस्थान हाई कोर्ट

प्राचीन हुए जब धरती पर, मन के खंडहर बेचैन हुए

डॉ. रामावतार शर्मा

कोई दस वर्ष पहले जब वे मुझसे एक चिकित्सा प्रमाण पत्र लेने आए तो उनका चेहरा गर्व से चमक रहा था। ऐसा होना स्वाभाविक था क्योंकि उनका इकलौता बेटा उच्च अध्ययन के लिए अमेरिका जा रहा था। बड़े सपने, बड़ी बातें। जिंदगी इतना देगी यह उन्होंने, उनके अनुसार, सोचा भी नहीं था। वे चंद रोज पहले फिर आए। अचानक बुढा-से गए, थके हुए उदास। एक दार्शनिक मुद्रा में स्थापित हो कर बोले कि कोई नींद की दवा लिख दीजिए। जब मैंने पूछा कि उनका बेटा कैसा है तो उनकी आंखें नम हो गई और बोले - डॉक्टर, बेटा अमेरिका में ही बस गया और अब मुझ से बात ही नहीं करता, यहां तक कि मेरा मोबाइल नंबर तक ब्लॉक कर रखा है।

ये इकलौती मुंह जबानी नहीं है बल्कि ऐसी कितनी ही अन्य आत्म स्वीकारोक्तियां अकसर सामने आती रहती हैं। भारत समय के साथ जापान और अब चीन की तरह बूढा होता जा रहा है। चाहे महंगी हो, उसमें काफी कमियां हों परंतु आधुनिक चिकित्सा विज्ञान और अन्य साधनों के विकास से लोग ज्यादा लंबे समय तक जीवन जी पा रहे हैं। दूसरा बड़ा परिवर्तन यह हुआ है जिसमें युवा लोगों को जीवनयापन के लिए दूर जगह और यहां तक कि विदेशों में भी जाना पड़ता है। दूरियां आत्मीयता, स्नेह और संपर्क को तोड भी सकती हैं। इसके अलावा कुछ गिने-चुने वर्गों को अलग कर दिया जाए तो अधिकतर नौकरियों में इतना कम वेतन मिलता है कि संतान का अपना काम चल जाए तो बड़ी बात है। ऐसे हालातों की वजह से प्रारंभ में तो संकोच वश और आगे चलकर आदत विकसित होने के कारण संतान मां-बाप से दूरी और कई मामलों में विमुखता बना लेती है।

कहने को तो आज का भारत विश्व का युवा देश है पर यहां तो युवकों को छोड़िए बच्चों तक पर प्रौढता हावी होती जा रही है। जो थोड़ी बहुत जवानी नजर आती है वह राजनीति के द्वारा सत्ता के नशे की तरफ त्वरित गति से बढ रहे जातियों पर आधारित युवाशक्ति (?) की है। इन युवकों के आक्रामक स्वभाव और सदा एक झुंड के रूप में आमजन को आतंकित करते हुए गुजरने की परंपरा को देखते हुए तो नहीं लगता की इस देश में जो लोग बुजुर्ग होते जा रहे हैं उनके प्रति कोई संवेदनात्मक माहौल कभी बन पाएगा। आज हमारे समाज में उम्र, पद, संजीदगी और तार्किक संवाद अपना सम्मान खोते जा रहे हैं। बस बाहुबलियों का दबदबा ही अपना परचम फैलाता नजर आ रहा है।

वैसे तो आज कल संविधान को कोई गंभीरता से लेता नहीं है फिर भी इसके आर्टिकल 42 और 47 में सरकार का एक प्राथमिक कर्तव्य है जिसमें उसे वयोवृद्ध नागरिकों की देखभाल और जनस्वास्थ्य को बेहतर बनाना है। अब सरकार इस कर्तव्य को कितना निभा रही है यह तो हर जागरूक नागरिक ही जान सकता है। वैसे देश का स्वास्थ संबंधी खर्चा पूरे बजट का दो फीसदी भी नहीं होता है। 140 करोड से भी अधिक की आबादी में जीरियाट्रिक क्लिनिक्स का कोई नाम तक नहीं जानता जिसमें सिर्फ वृद्ध लोगों का इलाज होता हो। प्राचीनता के नशे में झूमते समाज को सामने खड़ी समस्याओं का अस्तित्व तक नजर नहीं आ रहा है।

अभी चंद रोज पहले एक सज्जन आए थे मेरे पास। पत्नी चल बसी, बेटी का विवाह हो गया, बेटा दूर शहर में नौकरी पर रहता है। ये अपने मकान में एकदम अकेले। पड़ोस में एक दोस्त थे वे भी कुछ महीने पहले गुजर गए। पेंशन मिलती है, गुजारे की कोई समस्या नहीं पर अकेलेपन से कैसे लड़ा जाए? गांव से संपर्क नहीं रहा, शहर में कोई बात तक नहीं करता। यहां पता चलता है कि सांस लेने मात्र को जीना नहीं कहा जा सकता है। सामाजिक और मित्रवत संबंधों को बना कर रखना पड़ेगा वरना जिंदा रह कर भी मृतप्राय जैसी जिंदगी जीने की विवशता झेलनी होगी।

अगले तीन सालों में कोई 16 करोड़ भारतवासी बुजुर्ग होने की श्रेणी में आ जाएंगे जो रूस की आबादी से डेढ गुना ज्यादा संख्या होगी। इनमें से मुश्किल से पांच सात प्रतिशत लोग ही ऐसे होंगे जिन्होंने बढ़ती उम्र को उमंग के साथ बिताने की कोई दीर्घकालीन योजना बनाई होगी वरना अधिकतर तो सुबह से शाम तक घर के सोफे पर टीवी के सामने डटे रहेंगे और घर में क्लेश और अशांति का कारण बनेंगे क्योंकि एकरस जीवन दूसरों के कार्यक्रम में बाधा डालने को उकसाता है। अपने जीवन के आखिरी पड़ाव की योजना भी उसी तरीके से बनानी चाहिए जैसे युवावस्था के दौर को जीने के लिए बनाई जाती है।

क्या हमें सरकार से कोई उम्मीद करनी चाहिए कि वह अपने बुजुर्ग नागरिकों की देखभाल करने का प्रयास करेगी? यहां यह जान लेना आवश्यक है कि हम लोग ही तो सरकार बनाते हैं और जो समाज अपनी जीवनशैली को नहीं संजो सका वह किसी संवेदनशील सरकार का चयन कैसे कर सकता है? राजनीति में जिस तरह की मानसिकता के साथ लोग आ रहे हैं उनके सामने पुराने सामंत कहीं अधिक संवेदनशील नजर आते हैं। बड़ी गाडियों के काफिले के साथ चलते ये लोग सामान्य जनता में भय का माहौल फैलाने में अधिक सफल हो रहे हैं। खुले आम जाति और धर्म आधारित निम्नस्तरीय राजनीति करते इन लोगों से दर्शन आधारित राजनीति की गंगा बहेगी ऐसा तो स्वप्न में भी नहीं सोचा जा सकता।

बढती उम्र को सम्मान और चैन के साथ जीने के लिए स्वयं के द्वारा बनाई योजना ही साथ दे सकती है। पराश्रित व्यक्ति पराश्रित ही होता है फिर चाहे अपनों पर ही निर्भर क्यों न हो। दो सफल पुत्रों के दम पर सदा मुस्कुराने वाले माता पिता आज कल उदासी से घिरे रहते है। अपने जीवन की व्यस्तता के कारण बेटे मां-बाप से संवाद नहीं कर पाए, दूरियां बढ़ गई। दूरियां चुंकि कटुता भी बढ़ा सकती हैं तो अब आपसी संपर्क शून्य है। इधर बढ़ती मंहगाई ने आर्थिक स्थिति बिगाड़ दी। आज हालात ऐसे हैं कि कितने ही सपनों से बनाया मकान बेच कर किसी छोटे फ्लेट में जाने का विचार उठने लगा है। जिंदगी की ये सच्ची कहानियां दर्द तो देती हैं पर सीख भी प्रदान करती हैं। जीवन यात्रा अब पहले से अधिक लंबी हो चली है जिसमें आखिरी पड़ाव पर आप नितांत अकेले हो सकते हैं इस संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। आपको संतान का साथ मिल सकता है पर हो सकता है किन्ही कारणवश ना भी मिले। आपको दोनों परिस्थितियों के साथ जीना होगा और ध्यान रखना होगा कि यदि साथ मिले तो भी आपको अपने जीवन को सम्मान और आनंद के साथ जीने की व्यक्तिगत योजना बनानी होगी। यदि किन्ही कारणों से अकेले ही जीना पड़े तो उसके लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था भी सदैव तैयार रखनी होगी। इस बात को सदा याद रखें कि तीव्र गतिवान जीवन चक्र में आपकी भीगी आंखें और उदास चेहरे को देखने का समय अधिकतर लोगों के पास नहीं है।

-डॉ. रामावतार शर्मा,
(चिकित्सक एवं लेखक)

"हारे का सहारा" के जयकारों से गूंजा खाटूधाम

खाटूश्यामजी, (निसं)। बाबा श्याम का लक्खी मेले का गुरुवार को दूसरा दिन रहा। खाटूश्यामजी के चारों तरफ जहां केसरिया ध्वज लहरा रहे हैं तो हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा के नाम से पूरी खाटू नगरी

- **श्री श्याम मंदिर कमेटी व जिला प्रशासन ने श्याम भक्तों को बेहतरीन दर्शन कराने के लिए अनेक नवाचार किए**

गुंजायमान है। इस बार श्री श्याम मंदिर कमेटी व जिला प्रशासन ने श्याम भक्तों को बेहतरीन दर्शन कराने के लिए अनेक नवाचार किए हैं तो वहीं भक्त बाबा के दरबार में पहुंचकर मन्नतें मांग रहे हैं।

बाबा के इस 11 दिवसीय लक्खी मेले में करीब 35 लाख श्याम भक्त पहुंचते हैं, उन्हीं को देखते हुए मंदिर कमेटी व जिला प्रशासन ने व्यवस्थाओं को अंजाम दिया है। एकादशी को बाबा का मुख्य मेला होगा। इस बार लक्खी मेले में सुरक्षा के लिये नवाचार करते हुए घुड़सवार जवानों की तैनाती की गई है। हर सेक्टर में एक जांच अधिकारी, आठ सेक्टर के आठ प्रोटोकॉल अधिकारी तैनात हैं जो 24 घंटे मुस्तैद रहेंगे। इसके साथ ही अधिकारियों के पास 15 किलोमीटर की क्षमता के वायरलेस प्रणाली रहेगी और पूरे मेला क्षेत्र पर ड्रोन व सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाएगी। सोशल मीडिया पर व्हाट्सऐप ग्रुप बनाकर निर्देश दिए जाएंगे। लक्खी मेले में 24 घंटे भक्तों के लिए बाबा श्याम के दर्शनों की सुविधा है।

बाबा श्याम के वार्षिक लक्खी फाल्गुन मेले का रंग देश के कोने-कोने से आने वाले श्याम भक्तों पर ही नहीं वरन खाटूश्यामजी वासियों पर भी चढ़ा हुआ है। स्थानीय निवासी भी रींगस से खाटूश्यामजी की पदयात्रा करके बाबा श्याम के दर्शन करके परिवार व मेले के शांतिपूर्ण भरने की मंगलकामना मांग रहे हैं। स्थानीय लोग भी संघ बनाकर रींगस से खाटूश्यामजी पदयात्रा कर रहे हैं।

बाबा श्याम के फाल्गुन मेले का रंग देश के कोने-कोने से आने वाले श्याम भक्तों पर चढ़ा हुआ है।

मेले के दौरान लाखों श्याम भक्तों की स्वास्थ्य को लेकर चिकित्सा विभाग भी अलर्ट मोड पर है। सीएमएचओ निर्मल सिंह चौधरी के निर्देशन में इस बार डॉ. राजीव ढाका को मेला प्रभारी बनाया गया है। इसके साथ ही बीसीएमओ डॉ अश्वनी कुमार व चिकित्सा प्रभारी अधिकारी डॉ. गोगराज सिंह निठारवाल को सहायक मेला प्रभारी बनाया गया है। मेले को देखते हुए सीएचसी के अलावा 10 मेडिकल कैंप लगाए गए हैं जिनमें डॉक्टर, नर्सिंग स्टाफ व पर्याप्त मात्रा में दवाइयां उपलब्ध करवाई गई है। सीएचसी प्रभारी डॉक्टर गोगराज सिंह निठारवाल ने बताया कि मेले के दौरान 324 मेडिकल स्टाफ व 70 डॉक्टर्स की व्यवस्था की गई है। संपूर्ण मेला क्षेत्र में ग्यारह 108 एंबुलेंस स्थापित की गई है।

गौ संदेश यात्रा का पुष्कर पहुंचने पर स्वागत किया

पुष्कर, (निसं)। पुष्कर के रामद्वारा में प्रथम जिला स्तरीय गौ भक्तों गौ रक्षकों गौशाला संचालकों का भव्य सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें राज्य भर के सैकड़ों गौ भक्त गौ रक्षक गौ संचालक और साधु संत शामिल हुए। इस अवसर पर सम्मेलन में संतों ने गौ माता की रक्षा करने का आव्हान किया।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और केंद्र सरकार गौ माता की रक्षा नहीं कर रही है इसके चलते गौ माता की दुर्दशा हो रही है यही नहीं सभी संतो ने अपने उद्बोधन में कहा कि ऐसी सरकार का चुनाव करें जो गायों के हितार्थ कार्य करें गौ हत्या पर पूर्ण पाबंदी लगे गौमाता को राष्ट्र माता का दर्जा दिया जाए। सम्मेलन का शुभारंभ समता राम जी महाराज राजस्थान गो सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश गिरी महाराज सहित संतों ने दीप प्रज्वलित करके किया। इस अवसर पर समता राम जी महाराज ने संबोधित करते हुए कहा कि गौ माता की दुर्दशा हो रही है और गौ माता की रक्षा करने वाले गौ भक्तों पर मुकदमे दर्ज हो रहे हैं राज्य सरकार और केंद्र सरकार कोई भी गौ माता की रक्षा हेतु ध्यान नहीं दे रही है। उन्होंने कहा कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए और गौ हत्या पर पूर्ण पाबंदी हो तथा गौ रक्षकों के खिलाफ किसी प्रकार का मुकदमा दर्ज नहीं हो गोवंश की सुरक्षा के लिए सभी को आगे आना चाहिए और प्रत्येक को गौ सेवा करनी चाहिए तभी जाकर हमारे गोवंश सुरक्षित रहेगा। इस अवसर पर राजस्थान गो सेवा समिति के प्रदेश अध्यक्ष दिनेश पुरी जी महाराज ने संबोधित किया।

इस मौके पर पथमेड़ा के संत दत्त श्रवणनंद महाराज ने कहा कि गौ माता भूखी मर रही है तो यह मानव जाति के लिए बड़े शर्म की बात है। सबसे पहला काम यह हो कि पूरे भारत को निराश्रित गोवंश मुक्त करना गौ हत्या बंद हो पुष्कर की पावन धरा से सभी संकल्प लें कि गो हत्या बंद हो और पूरे भारत को निराश्रित गोवंश मुक्त हो। उन्होंने कहा कि सभी को गौ माता की रक्षा करने का संकल्प लें जो समर्थ तो वह सेवा करें। पुष्कर सभी तीर्थों का गुरु है इसलिए पुष्कर तीर्थ को सबसे पहले निराश्रित गोवंश और पॉलिथीन मुक्त किया जाए।

- **प्रभात फेरी निकाल कर दिया स्वच्छता का संदेश पॉलिथीन मुक्त अभियान चलाया**
- **पुष्कर में हुआ गो भक्तों गौ रक्षकों व गौशाला संचालकों का सम्मेलन**

उन्होंने कहा कि कोई भी कचरा सड़कों पर नहीं डालें जो भी व्यक्ति सड़कों पर कचरा डालता है वह दोषी होता है इसलिए गोवंश को बचाने के लिए निराश्रित गोवंश मुक्त और पॉलिथीन मुक्त जिसका शुभारंभ तीर्थ नगरी पुष्कर से ही होना चाहिए। पुष्कर से पूरे देश में अच्छा संदेश जाता है उस पर अग्रसर से पहले निराश्रित गोवंश और पॉलिथीन मुक्त होगा तो जिला भी होगा फिर राज्य होगा और फिर पूरा देश होगा इसलिए इसके लिए सबको आगे आना चाहिए। इस अवसर पर सभी संतो का गो भक्तों का और गो शाला संचालकों और गौ रक्षकों का दुपट्टा ओढ़ाकर सम्मान किया गया। इससे पूर्व जयपुर से गौ संदेश यात्रा पुष्कर पहुंचने पर गौ भक्तों ने भव्य स्वागत किया सुबह प्रभातफेरी निकाली गई जिसमें नगर के अंदर स्वच्छता अभियान चलाया गया और पॉलिथीन मुक्त का संदेश दिया गया।

गौ भक्तों ने रामद्वारा से प्रभात फेरी निकाली जो पुष्कर के विभिन्न भागों में स्वच्छता अभियान चलाते हुए पॉलिथीन को नष्ट किया और पॉलिथीन मुक्त का संदेश दिया प्लास्टिक मुक्त अभियान का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर काफी संख्या में महिला पुरुष साधु संत गौ भक्त इस अभियान में शामिल हुए और जगह-जगह प्लास्टिक के ढेर लग रखे थे उनको नष्ट किया गया।

इस अवसर पर अजमेर जिले सहित राज्य की कई गौशाला संचालक गौ भक्त गौ रक्षक शामिल हुए। धीरज राम महाराज ने बताया कि वर्तमान में हो रही गोवंश की दुर्दशा को लेकर भी विचार-विमर्श किया गया तथा राज्य सरकार द्वारा गौशाला में जो अनुदान दिया जाता था वह कई गौशाला में किसी कारणवश बंद हो गया है। गौशाला को पुन: अनुदान दिलवाने की भी राज्य सरकार से मांग की गई। यह जिला स्तरीय सम्मेलन राजस्थान गोसेवा समिति के तत्वाधान में आयोजित किया गया। महासम्मेलन के सफल आयोजन में समता राम जी महाराज गोपाल जांगिड़, अजीत शर्मा, ओमप्रकाश भाट, नरेंद्रसिंह, भुवनेश्वर पाठक, धीरज राम, महाराज व राजेश गढ़वाल सहित कई गौ भक्तो का सराहनीय योगदान रहा।

राशिफल

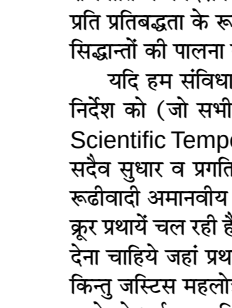

पंडित अनिल शर्मा

शुक्रवार 24 फरवरी, 2023

फाल्गुन मास, शुक्ल पक्ष, पंचमी तिथि, शुक्रवार, विक्रम संवत 2079, अश्विनी नक्षत्र रात्रि 3:26 तक, शुक्ल योग ासांय 6:47 तक, बव करण दिन 1:03 तक, चन्द्रमा मेष राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-कुम्भ, चन्द्रमा-मेष, मंगल-वृष, बुध-मकर, गुरू-मीन, शुक्र-मीन, शनि-कुम्भ, राहु-मेष, केतु-तुला राशि में।

कुमार योग सूर्योदय से रात्रि 3:26 तक है। सर्वार्थ सिद्धि योग रात्रि 3:26 तक बना रहेगा। रवियोग रात्रि 3:26 से आरम्भ होगा। महापात योग 10:27 तक है।

सर्वश्रेष्ठ चौघड़िया: चर सूर्योदय से 8:25 तक, लाभ-अमृत 8:25 से 11:15 तक, शुभ 12:40 से 2:05 तक, चर 4:55 से सूर्यास्त तक।

राहूकाल: 10:30 से 12:00 तक। सूर्योदय 7:00, सूर्यास्त 6:20

मेष

मन:स्थिति ठीक रहेगी। मानसिक तनाव से राहत मिलेगी। मनोबल-आत्मविश्वास बढ़ेगा। कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी।

वृष

मित्रों/रिश्तेदारों के कारण समय खराब हो सकता है। मित्रों से अनबन-मतभेद बढने का भय बना रहेगा। आज घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है। स्वभाव की तेजी पर नियंत्रण रखना ठीक रहेगा।

मिथुन

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। व्यावसायिक सफलता से मनोबल ऊंचा रहेगा। महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन होगा। परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी।

कर्क

व्यावसायिक कार्यों में आ रही अड़चनें दूर होने लगेंगी। व्यावसायिक कार्य शीघ्रता/सुगमता से बनने लगेंगे। नवीन कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। शुभ कार्य के लिए यात्रा संभव है।

सिंह

परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। शुभ कार्य के लिए बाहर जाने का कार्यक्रम बन सकता है। महत्वपूर्ण कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे।

कन्या

अपनी कार्य योजना को सीमित रखें। नवीन कार्यों को टालना ठीक रहेगा। आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। आज बनते कार्य बिगड़ने का भय बना रहेगा। आर्थिक मामलों में परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

तुला

परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिवार में शुभ-मांगलिक कार्य सम्पन्न हो सकते हैं। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे।

वृश्चिक

विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। अस्त-व्यस्त दिनचर्या में सुधार होगा। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक कार्यों के लिए दिन अच्छा रहेगा। महत्वपूर्ण कार्यों में सफलता से मनोबल बढ़ेगा।

धनु

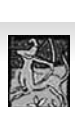

व्यावसायिक कार्यों से संबंधित आर्थिक समस्या का समाधान हो सकता है। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। घर-परिवार में सुख-शांति बनी रहेगी। सुख-सुविधाएं बढ़ेगी।

मकर

घर-परिवार में अतिथियों का आगमन बना रहेगा। परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य योजना का क्रियान्वयन हो सकता है। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी।

कुंभ

परिवार में मन को प्रसन्न करने वाले संदेश प्राप्त होंगे। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा। परिजनों के सहयोग से वर्तमान समस्या का समाधान हो सकता है।

मीन

आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। अटका हुआ धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक कार्यों में व्यस्तता अभी यथावत बनी रहेगी। व्यावसायिक कार्य योजनानुसार बनने लगेंगे।